राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या – 08, 09 व 10/2018.....जिला.....भीलवाड़ा
मै0 सत्यनारायण ओमप्रकाश भण्डारी, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–सी, भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2018	**एकलपीठ** **श्री नत्थूराम सदस्य** प्रार्थी व्यवसायी के कर सलाहकार श्री एम.पी.शर्मा एवं अप्रार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.खदाव उपस्थित। प्रार्थी व्यवसायी के कर कर सलाहकार श्री एम.पी.शर्मा ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि मूल अपील संख्या 1762, 1763 व 1764/2012/भीलवाडा जो कि दिनांक 10.05.2018 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थी की अनुपस्थिति में विभागीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं उक्त अपीलों में माननीय एकलपीठ के संयुक्त निर्णय दिनांक 24.05.2018 द्वारा आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार कर दी गयी। उनका निवेदन था कि एकतरफा आदेश विधिसम्मत नहीं है। उक्त अपीलों में वे अपना तर्क नहीं रख सके। अतः प्रार्थी को सुनते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जावे। विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस पर एतराज जाहिर करते हुए तर्क दिया कि मूल अपील संख्या 1762, 1763 व 1764/2012/भीलवाडा जो कि दिनांक 10.05.2018 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थी को आवाजे लगवाई गयी तथा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर गुण व दोष के आधार पर उक्त अपीलों का निस्तारण करते हुए अपीलें अस्वीकार की है जिसमें माननीय एकलपीठ ने कोई त्रुटि नहीं की है। उनका अग्रिम तर्क यह भी रहा कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपीलों के विरूद्ध उपरोक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगाये गये है जो उचित नहीं है एवं पोषणीय नहीं है। उनका निवेदन था कि उपरोक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह विदित है कि मूल अपील संख्या 1762, 1763 व 1764/2012/भीलवाडा जो कि दिनांक 10.05.2018 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर विभागीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं उक्त अपीलों में माननीय एकलपीठ के पूर्व संयुक्त निर्णय दिनांक 24.05.2018 द्वारा लगातार.....2	

15.11.2018

आदेश पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। माननीय एकलपीठ ने अपने स्वविवेक से आदेश पारित करते हुए, उपरोक्त अपीलों का निस्तारण करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा मूल अपील संख्या 1762, 1763 व 1764/2012/भीलवाडा जो कि दिनांक 10.05.2018 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थी की अनुपस्थिति में विभागीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं उक्त अपीलों में माननीय एकलपीठ द्वारा पूर्व संयुक्त निर्णय दिनांक 24.05.2018 द्वारा गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया है। उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र तभी पोषणीय है जब अपील का निस्तारण अदम हाजरी अदम पैरवी में किया गया हो। विचाराधीन अपीलों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होने के कारण रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रकरणों में यदि अपीलार्थी निर्णय से सतुष्ट नहीं थे तो उन्हें अन्य विधिक उपचार प्राप्त करना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 08, 09 व 10/2018/भीलवाड़ा खारिज किये जाते है। प्रार्थी व उसके कर सलाहकार/अभिभाषक उपरोक्त अपीलों में अन्य विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य